

अध्याय IV

योजना का क्रियान्वयन

अध्याय IV

योजना का क्रियान्वयन

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करता है जिसमें भौतिक प्रगति प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा अन्य विद्यमान योजनाओं के साथ अभिसरण कर अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित प्रकरण सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य: भौतिक लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए योजना को प्रभावी ढंग से एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुसार कार्यान्वित किया गया तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण, योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण

- 20,215 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास, जो वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वीकृत किये गए थे, स्वीकृति की तिथि से 12 महीने की निर्धारित समय सीमा से अधिक परा होने तथा आवासीय इकाई की सहायता के रूप में ₹ 134.51 करोड़ निर्गत करने के पश्चात् भी मार्च 2025 तक अधूरे थे।
- राज्य सरकार ने भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की स्वीकृति प्रदान करने की उपलब्धि में कोई कमी की सचना नहीं दी थी। तथापि, नमना जाँच किए गए सात जनपदों की लेखापरीक्षा में ऐसे भूमिहीन लाभार्थियों के प्रकरण सामने आये जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई थी एवं आवास स्वीकृत नहीं किये गए थे।
- डेमो आवासों के निर्माण में भारत सरकार द्वारा सुझाये गए क्षेत्र-विशिष्ट आवास डिजाइनों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सितम्बर 2024 तक राज्य के केवल 49 प्रतिशत विकास खण्डों में ही डेमो आवासों का निर्माण किया गया था।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के 2,178 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में, आवाससॉफ्ट में 'पूर्ण' बताये गए आवास 'अधूरे' पाए गए, इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी विवरण के बिना आवास, उपयोग में नहीं आने वाले आवास, भोजन पकाने और स्नान के लिए विशेष स्थान के बिना आवास आदि जैसे प्रकरण सामने आये।
- 2,079 पूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान आवासों में पाइप पेयजल आपूर्ति कनेक्शन की उपलब्धता में 89 प्रतिशत, शौचालयों की उपलब्धता में 29 प्रतिशत, बिजली कनेक्शन की उपलब्धता में 30 प्रतिशत और रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता में 39 प्रतिशत की कमी देखी गई।

4.1 योजना की भौतिक प्रगति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.2.2 में प्रावधान था कि राज्य को निधियों का वार्षिक आवंटन एवं आवासों के भौतिक लक्ष्य, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना पर आधारित होंगे। मंत्रालय से संवाद के पश्चात्, राज्य को जनपदवार तथा श्रेणी-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप देना था और उसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करना था। इसके अतिरिक्त, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.6.2 के अनुसार आवासों का निर्माण स्वीकृति की तिथि से 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, राज्य में वर्ष 2016-23 की अवधि में वर्षवार निर्माण के लक्ष्य, स्वीकृत आवास तथा मार्च 2024 तक इन आवासों को पूर्ण किये जाने की स्थिति **तालिका 4.1** में दी गई है।

तालिका 4.1 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों की भौतिक प्रगति

वर्ष	लक्ष्य	स्वीकृत	पूर्ण हुए
2016-17	570875	570873	566950
2017-18	394383	394382	392691
2018-19	309590	309589	308847
2019-20	171555	171554	170817
2020-21	732513	732502	728306
2021-22	433251	433250	429537
2022-23	858498	858481	821015
योग	3470665	3470631	3418163


(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी सूचना)

जैसा कि **तालिका 4.1** में प्रदर्शित है, वर्ष 2016-23 के अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत 34,70,631 आवासों में से 34,18,163 आवासों (98.49 प्रतिशत) का निर्माण पूर्ण किया गया था। तथापि, मार्च 2024 तक लाभार्थियों द्वारा धन का विचलन, लाभार्थियों का पलायन, भूमि विवाद, लाभार्थी की मृत्यु, आदि जैसे विभिन्न कारणों से 52,468 आवास अपूर्ण थे।


राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि इन आवासों को पूर्ण करने के लिए जनपदों को निर्देश निर्गत किए गए थे तथा नियमित निगरानी भी की जा रही थी। राज्य सरकार ने आगे सूचित(मार्च 2025) किया कि वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 की अवधि में स्वीकृत 34,70,631 आवासों के सापेक्ष वर्तमान में 20,215 आवास अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये 20,215 आवास मार्च 2025 तक अपूर्ण थे, जबकि इनके पूर्ण होने के लिए स्वीकृति की तारीख से महीने 12 की निर्धारित समय-सीमा से सात वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी जैसा कि चार्ट 4.1 एवं चार्ट 4.2 में प्रदर्शित है।

चार्ट 4.1 वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास जो मार्च 2025 तक अपूर्ण थे



चार्ट 4.2: वर्ष 2016-17 से 2022-23 की अवधि में स्वीकृत आवासों के मार्च 2025 तक अपूर्ण होने के कारण



इस प्रकार, अपूर्ण आवासों ने, न केवल योजना के उद्देश्य को विफल किया, वरन् इन लाभार्थियों³⁹ को आवासों के निर्माण के लिए सहायता के रूप में निर्गत की गयी ₹ 134.51 करोड़ की राशि भी अलाभकारी रही। इसलिए, राज्य सरकार इन आवासों के निर्माण की व्यवहार्यता की जाँच कर सकती है तथा उन प्रकरणों में लाभार्थियों को निर्गत की गई राशि की वसूली कर सकती है जहाँ आवास का निर्माण उचित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका।

4.2 वार्षिक कार्य योजना तैयार करना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 3.6.1. में प्रावधान था कि राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक वार्षिक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 3.6.2 में यह प्रावधान था कि राज्य की वार्षिक कार्य योजना में प्राथमिकता वाले परिवारों को संतुष्ट करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति पर प्रकाश डालते हुए जनपद-वार योजना समाविष्ट होनी चाहिए। जनपद-वार योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, निर्माण सामग्री के स्रोत, लाभार्थी को ऋण की सुविधा, आवास के प्रकार के लिए विकास एवं प्रसार योजना, लाभार्थी संवेदीकरण कार्यशालाओं और विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से लाभार्थी को मिलने वाली सभी सुविधाओं पर भी प्रकाश डाला जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 8.3 में निहित प्रावधान के अनुसार जनपद स्तरीय समिति की बैठकों में प्रस्तर 3.6.2 में उल्लिखित जनपद स्तरीय योजना की समीक्षा की जानी थी।

आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्ष 2018-23⁴⁰ (मार्च 2024) की वार्षिक कार्य योजना की प्रतियों से लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्षिक कार्य योजना⁴¹ में क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित जनपद-वार योजना समविष्ट नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से, किसी भी जनपद में जनपद स्तरीय योजना तैयार नहीं की जा रही थी।

उत्तर में, राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि वार्षिक कार्य योजना के लिए भारत सरकार के ऑनलाइन प्रारूप में, जनपदों की अलग से वार्षिक कार्य योजना का विकल्प उपलब्ध नहीं था। आगे यह भी बताया गया कि वार्षिक कार्य योजना के ऑनलाइन प्रारूप में उपलब्ध बिंदुओं को जनपदों के परामर्श से

³⁹ 10,052 लाभार्थी x ₹ 40,000 (प्रथम किश्त) + 8,151 लाभार्थी x ₹ 1,10,000 (प्रथम एवं द्वितीय किश्त) + 387 लाभार्थी x ₹ 1,20,000 (समस्त तीन किश्तें) = ₹ 134,51,30,000. 1,625 लाभार्थियों के प्रकरणों में कोई राशि निर्गत नहीं की गई थी।

⁴⁰ वर्ष 2017-18 की वार्षिक कार्य योजना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

⁴¹ ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

तैयार किया गया था। यह भी बताया गया कि जनपदों के परामर्श से अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने और नए वार्षिक लक्ष्य के अनुसार नए आवासों के निर्माण के लिए त्रैमासिक कार्य योजना तैयार की गई थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह सूचित किया गया कि चूंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों के निर्माण के जनपद-वार लक्ष्य ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्तर पर तय किए जाते हैं, इसलिए जनपद स्तर पर वार्षिक कार्य योजना संभव नहीं थी।

4.3 भूमिहीन लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.2.2 में प्रावधान था कि भूमिहीन लाभार्थी के प्रकरण में, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थी को शासकीय भूमि या सार्वजनिक भूमि सहित किसी अन्य भूमि में से आवास हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाए। क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में यह भी प्रावधान था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि स्थायी प्रतीक्षा-सूची को अंतिम रूप देने के पश्चात् भूमिहीन लाभार्थी को भूमि उपलब्ध करा दिया जाए।

राज्य में चिन्हित एवं स्थाई प्रतीक्षा-सूची में सम्मिलित भूमिहीन लाभार्थियों की कुल संख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध⁴² नहीं करायी गयी। आयुक्त ग्राम्य विकास ने सूचित किया (मार्च 2024) कि विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों ने 2,207 परिवारों को भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया और उन्हें भूमि उपलब्ध कराई गयी थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए छ: जनपदों में 137 भूमिहीन लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जैसा कि तालिका 4.2 में वर्णित है।

तालिका 4.2: नमूना जाँच किए गए जनपदों में भूमि आवंटित नहीं किये गए भूमिहीन लाभार्थियों का विवरण

क्रम सं०	जनपद का नाम	भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या जिन्हें भूमि आवंटित नहीं की गई
1.	अम्बेडकर नगर	5
2.	आजमगढ़	7
3.	बहराइच	6
4.	बाराबंकी	11

⁴² ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट (मई 2024) के अनुसार, राज्य की स्थाई प्रतीक्षा-सूची में 2,192 भूमिहीन लाभार्थी थे, जिनमें से 2,191 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई थी। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान, राज्य सरकार ने बताया कि राज्य में चिन्हित किये गए भूमिहीन लाभार्थियों के समग्र ऑकड़े भारत सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे।

5.	लखीमपुर खीरी	19
6.	सुल्तानपुर	89
योग		137

(स्रोत: संबंधित जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनपद बहराइच के महसी विकास खण्ड में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासों को स्वीकृत किया गया था और छ: भूमिहीन लाभार्थियों को पहली किश्तें निर्गत की गई थी, तथापि राज्य सरकार ने अभी तक इन लाभार्थियों को भूमि प्रदान नहीं की थी। इस प्रकार, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने और आवासों को स्वीकृत करने की उपलब्धि में कोई कमी नहीं बतायी गयी थी, नमूना जाँच किए गए जनपदों में पाया गया कि भूमिहीन लाभार्थी अभी भी भूमि और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (सितंबर 2024) कि अंबेडकर नगर में लेखापरीक्षा के समय उपलब्ध पाँच भूमिहीन लाभार्थियों में से तीन को भूमि उपलब्ध कराई गई थी, एक लाभार्थी को अपात्र पाया गया था जबकि एक अन्य लाभार्थी की भूमि विवाद में थी। आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी के प्रकरणों में, 21 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई थी और शेष पाँच लाभार्थियों के प्रकरण में आवंटन प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त, सभी 11 भूमिहीन लाभार्थियों को बाराबंकी में भूमि आवंटित की गई थी। जनपद बहराइच के विकास खण्ड महसी के प्रकरण में, यह सूचित किया गया कि वर्तमान (अगस्त 2024) स्थिति के अनुसार, वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी आवास में पट्टे पर भूमि की आवश्यकता नहीं थी। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा के समय सुल्तानपुर में, केवल 79 भूमिहीन लाभार्थी उपलब्ध थे, जिनको भूमि के पट्टे प्रदान कर दिए गए थे।

जनपद सुल्तानपुर के प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किये गए भूमिहीन लाभार्थियों (नवंबर 2023) की सूची में स्पष्ट रूप से 89 भूमिहीन लाभार्थी इंगित किये गये थे, एवं इस प्रकार, शेष 10 लाभार्थियों के प्रकरणों में कार्यवाही प्रतीक्षित थी।

केस स्टडी

जनपद महाराजगंज में, जिलाधिकारी द्वारा (जुलाई 2020) उप-जिलाधिकारी, फरेंदा को ग्राम पंचायत मथुरानगर (वनग्राम भारीवैसी) की स्थाई प्रतीक्षा-सूची में 198 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन लाभार्थियों में से 164 लाभार्थी, जिन्हें सत्यापन के उपरांत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र पाया गया था, को भूमि सितंबर 2023 में प्रदान की जा सकी। यद्यपि, इन लाभार्थियों को वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पंजीकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आवास स्वीकृत (मार्च 2024) नहीं किये जा सके क्योंकि वे सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की स्थाई प्रतीक्षा-सूची से संबंधित थे जो 2019-20 में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि इन 164 भूमिहीन लाभार्थियों को पूर्व में जनपद में भूमिहीन लाभार्थियों⁴³ के रूप में वर्गीकृत एवं सूचित नहीं किया गया था जिससे उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत बहुत पहले ही लाभान्वित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा (मार्च 2024) द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने के पश्चात्, आयुक्त ग्राम्य विकास ने भारत सरकार से सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 की स्थाई प्रतीक्षा-सूची के इन 164 पात्र लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति के लिए आवाससॉफ्ट खोलने का अनुरोध (अगस्त 2024) किया। राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि इनमें से 162 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास सितंबर 2024 में स्वीकृत कर दिए गए एवं शेष दो लाभार्थियों के संदर्भ में, राज्य सरकार ने बताया (अप्रैल 2025) कि दोनों लाभार्थी अयोग्य पाए गए थे एवं उनके नाम को अग्रेतर सत्यापन हेतु रिमांड कर दिया गया था।

4.4 वार्षिक चयन-सूची को तैयार एवं प्रसारित करना

जैसा कि क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 4.7.1 में परिकल्पित था कि जब भारत सरकार द्वारा लक्ष्यों को सूचित कर दिया जाता है, तब राज्य, संबंधित जनपदों को श्रेणीवार लक्ष्य वितरित करेगा और आवाससॉफ्ट पर इसे दर्ज करेगा।, स्थाई प्रतीक्षा-सूची से वार्षिक चयन-सूची तैयार करने के लिए जनपद स्तरीय

⁴³ जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, महाराजगंज द्वारा प्रदान की गई सूचना (मार्च 2024) के अनुसार, जनपद के लिए स्थाई प्रतीक्षा-सूची में केवल सात लाभार्थियों को ही भूमिहीन के रूप में टैग किया गया था एवं इन सात लाभार्थियों में से कोई भी क्षेत्र पंचायत फरेंदा से नहीं था।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई उत्तरदायी⁴⁴ थी, जिसे अनुमोदित स्थाई प्रतीक्षा-सूची में शीर्ष परिवारों से प्रारंभ कर उस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत को प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित लक्ष्य तक सीमित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 4.7.2 में यह प्रावधान किया गया था कि वार्षिक चयन-सूची का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 17 जनपदों⁴⁵ में, वर्ष 2017-23 की अवधि में वार्षिक चयन-सूची तैयार नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवासीय इकाई की सहायता के लिए स्वीकृतियाँ अंतिम स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर निर्गत की गई थीं। वार्षिक चयन-सूची के अभाव में, लाभार्थियों को उस वर्ष के लिए ग्राम पंचायत में प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित लक्ष्य से अवगत नहीं कराया जा सका। लाभार्थियों को आवासों की स्वीकृति उस सीमा तक अपारदर्शी रही।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवासों की स्वीकृति स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर की गई थी, जिसे श्रेणीवार तैयार किया गया था और लाभार्थियों की प्राथमिकता आवाससॉफ्ट पर प्रदर्शित की गई थी। राज्य सरकार ने आगे बताया कि स्थाई प्रतीक्षा-सूची का दीवार पर लेखन भी किया जा रहा था और इस प्रकार लाभार्थियों को उस क्रम के बारे में जात था जिससे उन्हें वार्षिक लक्ष्यों में से लाभ प्राप्त होना था। तथापि, वार्षिक चयन-सूची तैयार न करने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए सूचित किया गया कि स्थाई प्रतीक्षा-सूची के आधार पर एवं प्रत्येक जनपद के लिए आवंटित लक्ष्य के अनुसार आवासों को स्वीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा के विचार में लाभार्थियों के मध्य जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के अनुसार वार्षिक चयन-सूची को तैयार करना एवं उसका प्रसार आवश्यक था।

4.5 आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.3 के अनुसार, स्वीकृति आदेश के साथ, लाभार्थी को आवास के लिये पहचानी गयी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के विकल्पों की सूची प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आवास के डिजाइन की योजना, ले-आउट और विस्तृत लागत प्राक्कलन के विवरण सहित प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों

⁴⁴ कार्यान्वयन का फ्रेमवर्क का प्रस्तर 7.3.1.2

⁴⁵ जिला ग्राम्य विकास अभियान उन्नाव एवं बहराइच के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

की सूची, विभिन्न डिजाइन टाइपोलॉजी के डेमो आवासों का स्थान, आसपास के सभी सामग्री आपूर्तिकर्ता के संपर्क विवरण भी सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये उपाय गुणवत्तापूर्ण आवासों का निर्माण समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आये प्रकरणों का विवरण निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है:

4.5.1 डेमो आवासों का निर्माण नहीं होना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान के अनुसार राज्यों को लाभार्थियों को उनके निवास के क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवास के डिजाइनों के अनेक विकल्पों को उपलब्ध कराना चाहिए। टिकाऊ आधार पर गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलवायु परिस्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों और पारंपरिक कौशल के आधार पर राज्य के भीतर प्रत्येक आवासीय क्षेत्र के लिए आवास प्रोटोटाइप विकसित किया। इन डिजाइनों को 'पहल' नामक एक संग्रह में प्रकाशित (नवंबर 2016) किया गया था। संग्रह के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक क्षेत्र के लिए छह जोन-विशिष्ट आवास डिजाइन, प्रत्येक जोन के लिए एक, की अनुशंसा की गई थी।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ₹ 1.38 लाख से ₹ 1.60 लाख तक के निर्माण की अनुमानित प्रति इकाई लागत के साथ 'पहल' के छह जोन विशिष्ट आवास डिजाइनों (दिसंबर 2016) को अनुमोदित किया। इसके पश्चात, आयुक्त ग्राम्य विकास ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को (दिसंबर 2017) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित डिजाइनों (दिसंबर 2016) के आधार पर संभव सीमा तक जनपदों के प्रत्येक विकास खंड में एक मॉडल आवास के निर्माण के लिए निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के अनुसार, सभी विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण सितंबर 2018 तक किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों⁴⁶ के 249 विकास खण्डों में से केवल 125 विकास खण्डों (50 प्रतिशत) में डेमो आवास का निर्माण किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 4.1 में वर्णित है। दो जनपदों⁴⁷ के सभी विकास खण्डों में डेमो आवास निर्मित किये गए थे। जबकि, पाँच नमूना

⁴⁶ लेखापरीक्षा सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 के मध्य सम्पादित की गई थी

⁴⁷ अन्बेडकर नगर एवं महोबा

जाँच किए गए जनपदों में कोई डेमो आवास नहीं बनाया गया था, इस प्रकार इन पाँच जनपदों⁴⁸ के 1.40 लाख लाभार्थी, जिन्हें वर्ष 2017-23 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास स्वीकृत किए गए थे, उन्हें इस क्षेत्र के लिए सुझाए गए आवास के उपयुक्त डिजाइन का अनुभव करने के अवसर से वंचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, राज्य के 826 विकास खण्डों में से मात्र 395 विकास खण्डों (48 प्रतिशत) में डेमो आवास का निर्माण किया गया था तथा 132 विकास खण्डों में मार्च 2024 तक यह निर्माणाधीन थे। इस प्रकार, विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, क्योंकि वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 में निर्धारित पाँच वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी डेमो आवास का निर्माण सुनिश्चित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में, 407 विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण पूरा हो गया था तथा 144 विकास खण्डों में निर्माण कार्य प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त, 32 विकास खण्डों में डेमो आवास के निर्माण के लिए निर्देश (अगस्त 2024) निर्गत किए जा रहे थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कुछ विकास खण्डों में भूमि की अनुपलब्धता और पश्चिमी क्षेत्र में धन की कमी के कारण कुछ विकास खण्डों में डेमो आवास का निर्माण नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016-23 की अवधि में 34.18 लाख आवासों का निर्माण 48 प्रतिशत विकास खण्डों में डेमो आवास के निर्माण के बिना पहले ही किया जा चुका था तथा वर्तमान में स्थायी प्रतीक्षा-सूची के अनुसार केवल 0.60 लाख लाभार्थियों (मार्च 2024) को आच्छादित किया जाना शेष था। इस प्रकार, अधिकांश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवासों का निर्माण लाभार्थियों को क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास के डिजाइनों से परिचित होने का अवसर दिए बिना किया गया था, जिसने डेमो आवास के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर दिया था।

⁴⁸ हमीरपुर, झांसी, बदायूँ, महाराजगंज एवं मुरादाबाद

4.5.2 आवास के लिए पहचानी गयी डिजाइन और प्रौद्योगिकियों के विकल्प प्रदान करना

नमूना जाँच किए गए छ: जनपदों के छ: विकास खण्डों⁴⁹, जो संग्रह 'पहल' में निर्दिष्ट छह क्षेत्रों (ज़ोन) में थे, से संबंधित डेमो आवास के निर्माण के अभिलेखों की जाँच, से पता चला कि संबंधित क्षेत्रों के लिए सुझाए गए डिजाइन के अनुसार डेमो आवास का निर्माण नहीं किया गया था। इन विकास खण्डों में निर्मित डेमो आवास में न तो 'पहल' में निर्दिष्ट प्राक्कलनों एवं डिजाइन का पालन तथा न ही निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। इन नमूना जाँच किए गए विकास खण्डों में से पाँच⁵⁰ के संबंधित खंड विकास अधिकारियों ने बताया कि डेमो आवास का निर्माण लोकप्रिय और स्थानीय स्तर पर पसंद किय जाने वाले आवास के डिजाइन के अनुसार किया गया था। शेष एक⁵¹ नमूना जाँच विकास खंड के प्रकरण में संबंधित खंड विकास अधिकारी ने बताया कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त प्राक्कलन एवं डिजाइन के अनुसार डेमो आवास का निर्माण किया गया था।

'पहल' में सुझाए गए छ: क्षेत्रों में डेमो आवास के लिए आवास के डिजाइन एवं इन विकास खण्डों में निर्मित डेमो आवास के चित्र के साथ अनुशंसित विशिष्टियों तथा डेमो आवास के निर्माण में उपयोग लायी गई विशिष्टियाँ नीचे विस्तृत रूप से वर्णित हैं:

डेमो आवास ज़ोन-ए (विकास खंड बिजुआ, जनपद लखीमपुर खीरी)

ज़ोन-ए के लिए सुझाया गया डिजाइन	जनपद लखीमपुर खीरी (विकास खंड बिजुआ) में निर्मित डेमो आवास
	
ज़ोन ए भूकंपीय क्षेत्र की उच्चतम श्रेणी एवं वायु/चक्रवात के उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अतः सुझाए गए डिजाइन में भूकंप प्रतिरोधी विशेषताओं को सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।	

⁴⁹ बिजुआ (लखीमपुर खीरी), असमौली (संभल), चरखारी (महोबा), अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), खुटहन (जौनपुर) एवं बेहटा (सीतापुर)

⁵⁰ बिजुआ (लखीमपुर खीरी), असमौली (संभल), चरखारी (महोबा), खुटहन (जौनपुर) एवं बेहटा (सीतापुर)

⁵¹ अकबरपुर (अम्बेडकर नगर)

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा

अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)
दीवार	<p>रैट ट्रैप बांड ईंटों की दीवार के साथ 2 ईंटों की मोटाई का स्तंभ।</p> <ul style="list-style-type: none"> सभी कमरों के कोनों पर ईंटों की चिनाई में जड़े हुए रिएनफोर्स बार। चौखट, लिटेल और छत के स्तर पर भूकंपरोधी पट्टियाँ प्रदान की गई हैं। 	सीमेंट और महीन रेत के गारे के साथ 1:4 अनुपात में M-150 श्रेणी की ईंटों का कार्य।
दीवार की फिनिश	• दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं।	सीमेंट और मोटे रेत, रेत के गारे आदि के साथ 1:4 अनुपात में 12 मिमी मोटा प्लास्टर।
छत की संरचना	छत के भार को सहारा देने के लिए छत के स्तर पर पूर्वनिर्मित रिएनफोर्सड कंक्रीट बीम।	सीमेंट और मोटे रेत, स्टोन गिट आदि के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी का कार्य (लिटेल और सनशेड)।
छत का आवरण	प्रीकास्ट फेरो सीमेंट छत चैनल।	सीमेंट और मोटे रेत, पत्थर के गारे आदि के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी स्लैब का कार्य।

ज़ोन-बी में डेमो आवास (विकास खंड असमौली जनपद संभल)

ज़ोन-बी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद संभल (विकास खंड- असमौली) में निर्मित डेमो आवास
	

चूंकि जोन बी भूकंपीय क्षेत्र III में स्थित है और मिटटी के पश्चात सबसे आसानी से उपलब्ध सामग्री पत्थर है, अतः इस क्षेत्र के लिए सुझाए गए डिज़ाइन में निर्माण तकनीक में पत्थर और मिटटी के विवेकपूर्ण उपयोग पर ध्यान दिया गया है।

अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बिलों के अनुसार)
दीवार	<ul style="list-style-type: none"> खोखली इंटरलॉकिंग कंप्रेस्ड स्टैबलाइज्ड अर्थ ब्लॉक की दीवार। सभी कमरों के कोनों पर ईंटों की चिनाई में जड़े हुए रिएनफोर्स बार। छत के स्तर पर भूकंपरोधी बैंड प्रदान किए गए हैं। 	निर्माण के लिए एम-150 श्रेणी की ईंटें क्रय की गई थीं। (चूंकि निर्माण के लिए आपूर्ति की गई सामग्री का केवल बिल/वातचर ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया था और निर्माण के लिए स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए डेमो हाउस के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ की तुलना नहीं की जा सकी।)
दीवार की फिनिश	• दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं।	बाहरी दीवारों में सीमेंट प्लास्टर, जैसा कि दिखाई दे रहा था।

ज़ोन-सी में डेमो आवास (विकास खंड चरखारी जनपद महोबा)

ज़ोन-सी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद महोबा (विकास खंड- चरखारी) में निर्मित डेमो आवास	
 UP-C-01		
<p>ज़ोन सी बुंदेलखण्ड भूकंपीय क्षेत्र II में स्थित है और इस क्षेत्र में बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। क्षेत्र के अधिकांश आगों के लिए, प्रमुख प्राकृतिक भवन निर्माण सामग्री पत्थर हैं।</p>		
अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/ सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)
नींव	<ul style="list-style-type: none"> छोटे पत्थरों को एक साथ रखने और नींव में संरचनात्मक दरारों को रोकने के लिए नियमित अंतराल पर सीमेंट मोर्टार, बॉन्ड स्टोन और हुक लिंक के साथ रैम पत्थर के टुकड़ों की चिनाई प्रस्तावित थी। 	सीसी रोड स्लैब की नींव या आधार में सीमेंट, मोटी रेत, 40 मिमी जीएसबी के साथ 1:4:8 अनुपात में सीसी बिछाना
दीवार	<ul style="list-style-type: none"> फ्लाई ऐश ईंटों से रैट ट्रैप बॉन्ड दीवार। खुले स्थानों के ऊपर पत्थर के लिंटेल और ईंट के मेहराब। दीवारों पर लगे पत्थर के ब्रैकेट पर टिका हुआ लॉफ्ट और छत का उभार। 	4:1 के अनुपात में रेत और सीमेंट मोर्टार में M-150 श्रेणी के ईंटों से ईंटों का काम
दीवार की फिनिश	<ul style="list-style-type: none"> दीवार की फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं। 	एक भाग सीमेंट और चार भाग बारीक रेत वाले सीमेंट मोर्टार से ईंटों के काम पर 12 मिमी मोटाई का प्लास्टर
छत की संरचना	छत के भार को सहन करने के लिए छत के स्तर पर प्रीफैब्रिकेटेड रिइनफोर्सेड कंक्रीट बीम। एमसीआर टाइल छत के लिए बांस का फ्रेमवर्क।	सीमेंट रेत और 20 मिमी गिट के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी
छत का आवरण	प्रीकास्ट फेरोसीमेंट छत चैनल।	सीमेंट रेत और 20 मिमी गिट के साथ 1:2:4 अनुपात में आरसीसी

ज़ोन डी में डेमो आवास (विकास खंड अकबरपुर जनपद अंडेकरनगर)

ज़ोन-डी के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद अंडेकर नगर (विकास खंड-अकबरपुर) में निर्मित डेमो आवास	
		
चूंकि ज़ोन डी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र, भूकंपीय क्षेत्र V और चक्रवात के उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति को रोकने के लिए सभी सुरक्षा विशेषताओं को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है।		
अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	
नींव	<ul style="list-style-type: none"> सुपरस्ट्रक्चर में 2-ईट की मोटाई वाले स्तम्भ के नीचे सीमेंट मोर्टर के साथ ईट पेड़स्टल की नींव। प्लिंथ स्तर तक पक्की हुई मिट्टी की ईटों और सीमेंट मोर्टर से स्ट्रिप फुटिंग। 	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)
प्लिंथ	<ul style="list-style-type: none"> 650 मिमी ऊँचाई पर 150 मिमी मोटी रिइनफोर्स्ड आर.सी.सी. प्लिंथ बीम। 	नींव एवं प्लिंथ में एम-150 ब्रिकवर्क, सीमेंट और 1.25 एफएम मोर्टर फाइन सैंड के साथ 1:6
दीवार	<ul style="list-style-type: none"> रेट ट्रैप बॉन्डेड ईट की दीवार के साथ 2 ईट की मोटाई का स्तम्भ। सभी कमरों के कोनों में ईट की मेसनरी में रीइनफोर्सिंग छड़ो का समावेश। सिल स्तर और लिंटल स्तर पर 75 मिमी मोटी भूकंपीय बैंड्स बांस की रिइनफोर्समेंट के साथ। 	सुपर स्ट्रक्चर में एम-150 ब्रिकवर्क, सीमेंट और 1.25 एफएम मोर्टर फाइन सैंड के साथ 1:6 के अनुपात में
दीवार की फिनिश	<ul style="list-style-type: none"> दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं। 	दीवार पर 1:6 अनुपात में सीमेंट और फाइन सैंड के मोर्टर से 12 मिमी मोटाई का प्लास्टर
छत की संरचना	<ul style="list-style-type: none"> 100 मिमी व्यास वाले बांस का पर्लिन्स के रूप में और 50 मिमी व्यास वाले बांस का बैटरन्स के रूप में उपयोग कर बांस का फ्रेमवर्क। 	आरसीसी कार्य सीमेंट, कोर्स सैंड एवं 20 मिमी पत्थर की गिट 1:1.5:3 के अनुपात में
छत का आवरण	<ul style="list-style-type: none"> छत के आवरण के रूप प्रेस्ड थैच पैनल्स के साथ जी.आई. कोर्सेटेड शीट। 	आरसीसी कार्य सीमेंट, कोर्स सैंड एवं 20 मिमी पत्थर की गिट 1:1.5:3 के अनुपात में

जौन-ई में डेमो आवास (विकास खंड खुटहन जनपद जौनपुर)

जौन-ई के लिए सुझाया गया डिज़ाइन	जनपद जौनपुर (विकास खंड- खुटहन) में निर्मित डेमो आवास	
 UP-E-01		
जौन ई क्षेत्र, बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है और इसमें भूकंपीय क्षेत्र II एवं III भी आते हैं।		
अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री (लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन के अनुसार)
नींव	प्लिंथ स्तर तक सीमेंट मोर्टार के साथ ईंट की स्ट्रिप फुटिंग।	फर्श के नीचे नींव में 8:4:1 के अनुपात में कंक्रीट के साथ 40 मिमी गेज ब्रिक बैलास्ट, फाइन सैंड 1.25 एफ.एम और सीमेंट
दीवार	<ul style="list-style-type: none"> • फलाई ऐश ईंटों और सीमेंट मोर्टार से बने कोने, जो मुख्य संरचनात्मक ढांचे का कार्य करते हैं और छत का भार सहन करते हैं। • टेराकोटा टाइल फेस वाले मिट्टी के ब्लॉक, जिसमें बाइंडिंग सामग्री के रूप में मिट्टी मोर्टार और बाहरी सतह की प्वाइंटिंग के लिए सीमेंट मोर्टार का उपयोग। 	एम-150 ब्रिकवर्क सीमेंट और फाइन सैंड 1.25 एफ.एम मोर्टार के साथ 1:4 के अनुपात में
दीवार की फिनिश	दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं।	1:4 अनुपात में 1.25 एफ.एम. मोर्टार सीमेंट और फाइन सैंड से, 12 मिमी मोर्टाई में प्लास्टर
छत की संरचना	छत के भार को सहारा देने के लिए प्रीफैब्रिकेटेड आर.सी.सी. बीम। एम.सी.आर. टाइल की छत के लिए बांस का फ्रेमवर्क।	कार्य की मद में उल्लेख नहीं था। तथापि, एम.सी.आर. टाइल की छत के लिए बांस के फ्रेमवर्क को प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।
छत का आवरण	ऊपर मट फुस्का के साथ ब्रिक टाइल का आर्च पैनल।	कार्य की मद में उल्लेख नहीं था। तथापि, ब्रिक टाइल आर्च पैनल प्राक्कलन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

ज़ोन-एफ में डेमो आवास (विकास खंड बेहटा जनपद सीतापुर)

ज़ोन-एफ के लिए सुझाया गया डिजाइन	जनपद सीतापुर (विकास खंड-बेहटा) में निर्मित डेमो आवास	
		
जोन एफ भूकंपीय क्षेत्र III एवं II में निहित है, साथ ही कुछ क्षेत्र बाढ़ के खतरों से ग्रस्त हैं। सुझाए गए डिजाइन में, ईंट के उपयोग करने तथा अवधि एवं निचले दोआंब के समतल मैदानों की मिट्टी की स्थिति से लाभ उठाने पर ध्यान दिया गया है।		
अवयव	'पहल' संग्रह के अनुसार अनुशंसित विशिष्टियाँ	
नींव	रिफ्फोर्स्ड ईंट की स्ट्रिप फुटिंग सुझाई गयी। 0.60 मीटर के प्लिंथ स्तर तक दीवार पर गैर-क्षरणशील प्लास्टर फिनिश का सुझाव दिया गया था।	डेमो आवास के निर्माण में प्रयुक्त विशिष्टियाँ/सामग्री
प्लिंथ	प्लिंथ, सिल और लिंटल स्तर पर बांस की रिफ्फोर्स्मेंट के साथ सीमेंट कंक्रीट के भूकंपीय बैंड्स का सुझाव दिया गया था।	1:5:10 अनुपात में सीमेंट, फाइन सैंड और 40 मिमी बी/ ब्लास्ट के साथ पी.सी.सी.
दीवार	अवधि क्षेत्र के भूकंपीय क्षेत्र III के लिए कोनों में रिफ्फोर्स्मेंट के साथ रेट ट्रैप बॉन्डेड ईंट की दीवार सुझाई गई थी।	नींव और प्लिंथ में 1:6 अनुपात में ब्रिक सीमेंट और फाइन सैंड मोर्टर से प्रथम श्रेणी की ईंट का कार्य।
दीवार की फिनिश	दीवार फिनिश की आवश्यकता नहीं।	सुपरस्ट्रक्चर में 1:6 के सीमेंट मोर्टर में प्रथम श्रेणी की ईंट का कार्य।
छत की संरचना	फिलर स्लैब निर्माण प्रणाली सुझाई गई थी, जिसमें आर.सी.सी. स्लैब के कुछ हिस्सों को फिलर सामग्री जैसे मिट्टी के पॉट्स से बदला जाता है, जिससे सामग्री की लागत सीमेंट की तुलना में कम होती है।	1:4 के सीमेंट और फाइन सैंड के मोर्टर से दीवारों पर 12 मिमी मोर्टाई का प्लास्टर।
		1:2:4 में सीमेंट, कोर्स सैंड और 20 मिमी स्टोन ग्रिट के साथ आर.सी.सी. कार्य।

उपरोक्त डिजाइनों एवं घटकों से यह स्पष्ट है कि संग्रह में सुझाए गए आवास प्रोटोटाइप, गहन अध्ययन के पश्चात तथा जलवायु स्थितियों, आपदा जोखिम कारकों, स्थानीय सामग्रियों एवं पारंपरिक कौशल के आधार पर विकसित किए गए थे। तथापि, भारत सरकार द्वारा सुझाए गए एवं उ.प्र. सरकार के द्वारा अनुमोदित और प्रसारित विशिष्टियों के अनुसार डेमो आवासों का निर्माण नहीं किया गया था। अनुमोदित डिजाइन का पालन किए बिना डेमो आवास के निर्माण ने स्थायी आधार पर गुणवत्ता वाले आवासों के क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकता के साथ निर्माण को सुनिश्चित करने के डेमो आवास के उद्देश्य को विफल कर दिया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि राज्य के सभी जनपदों में आवास डिजाइन टायोपोलॉजी 'पहल' की एक प्रति प्रसारित की गई थी। यह भी कहा गया कि चूंकि डिजाइन सुझावात्मक थे और अनिवार्य नहीं थे, इसलिए डेमो आवास, स्थानीय स्तर पर लाभार्थियों द्वारा प्रचलित एवं पसंद किए गए मॉडल के अनुसार बनाए गए थे। यह भी सूचित किया गया कि जोन-4 में, छत का डिजाइन त्रिकोणीय है और जोन-5 में फ्लाई ऐश ईंट तथा पत्थर के उपयोग का सुझाव दिया गया था, जबकि लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए सपाट छत और मिट्टी से बनी ईंट पसंद थीं। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संग्रह 'पहल' में दिए गए आवास डिजाइनों को प्रत्येक जिले में प्रसारित किया गया था एवं राज्य द्वारा आवास का कोई डिजाइन विकसित या प्रदान नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि क्षेत्र विशिष्ट डिजाइनों के अनुसार डेमो आवासों का निर्माण किया जाना चाहिए था ताकि पीएमएवाई जी लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, स्थायी एवं आपदा रोधी आवासों के ज्ञान के साथ उनको सशक्त बनाया जा सके।

4.5.3 आवास निर्माण के लिए प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता

4.5.3.1 ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण में विलम्ब

जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.3.1 में परिकल्पित था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित आवास अच्छी गुणवत्ता के हों, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता अनिवार्य थी। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करने और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए दिशानिर्देश (सितंबर 2017) निर्गत किए।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए वर्ष 2016-17 में 17,093, 2017-18 में 11,785 एवं वर्ष 2018-19 में 20,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं लक्ष्य (सितंबर 2017) आवंटित किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2017-23 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लिए कुल 48,878 प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन के लिए ग्राम्य

विकास विभाग द्वारा आयोजित बैठक (अगस्त 2018) के कार्यवृत्त से जात हुआ कि दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नामित किया गया था। उ.प्र. सरकार द्वारा आगे दोहराया गया (नवंबर 2018) कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार इसे पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की थी।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सूची एवं निधियाँ मार्च 2019 में, अर्थात् सितंबर 2017 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के लक्ष्यों के संसूचना से लगभग डेढ़ वर्ष के अंतराल के पश्चात् राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को प्रेषित की गयी। अग्रेतर, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, मार्च 2019 में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2016-17 से फरवरी 2019 की अवधि में कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि में जिन 53,300 प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित⁵² किया गया था उनमें से 52,385 प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया गया एवं मूल्यांकन के पश्चात् मात्र 45,063 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने में विलम्ब के कारण, वर्ष 2016-19 की अवधि में ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। चूंकि 2016-19 की अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 12.75 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों को स्वीकृति दी गई थी, इन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लाभार्थियों को ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का लाभ नहीं मिल सका, जिसने योजना के अंतर्गत आवास के निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रशासनिक कारणों से, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 2019-20 से प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान लखनऊ को दी गई थी। ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के मूल्यांकन में

⁵² राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की दिनांक 25 मार्च 2025 के प्रतिवेदन के अनुसार

उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की सूची प्रशिक्षण प्रदाता एवं एसआईआरडी द्वारा विकास खण्डों तथा जनपदों को उपलब्ध करायी जा रही थी।

उत्तर से स्पष्ट है कि ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में विलम्ब के कारण मार्च 2019 तक स्वीकृत 12.75 लाख आवासों के लाभार्थियों को प्रशिक्षित राजमिस्त्री का लाभ नहीं मिल सका।

4.5.3.2 लाभार्थी के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री को मैप किया जाना

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.3.1 में प्रावधान है कि लाभार्थी को स्वीकृति आदेश निर्गत करने के दौरान, एक क्षेत्रीय कर्मी एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्री के विवरण के साथ मैप किया जाना था। इसके अतिरिक्त, आवास को समय पर निर्मित/पूर्ण करने एवं अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी को क्षेत्रीय स्तर के शासकीय पदाधिकारी एवं ग्रामीण राजमिस्त्री के साथ टैग करने की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में से किसी में भी प्रशिक्षित राजमिस्त्री को लाभार्थी के साथ मैप नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग सुनिश्चित नहीं की गई थी जैसा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित किया गया था, जिससे अच्छी गुणवत्ता के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सहायता का उद्देश्य विफल रहा।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवाससॉफ्ट में मैपिंग के विकल्प की अनुपलब्धता के कारण, प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री को स्वीकृत आवासों के साथ मैप नहीं किया जा सका। खंड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव, प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षित राजमिस्त्री की सूची के माध्यम से आवास के निर्माण में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क और ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से लाभार्थी के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग के लिए प्रावधान था एवं आवाससॉफ्ट में ऐसे विकल्प की अनुपलब्धता की समस्या, यदि कोई हो, को भारत सरकार के साथ उठाया जाना चाहिए था।

4.6 लाभार्थी सहायता सेवाएँ

4.6.1 वृद्ध एवं अशक्त लाभार्थियों को सहायता

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.5.1 में प्रावधान था कि ऐसे प्रकरण जहाँ लाभार्थी वृद्ध या अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति था एवं इसलिए वह स्वयं आवास का निर्माण कराने की स्थिति में नहीं था, ऐसे आवासों के निर्माण को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लिया जाएगा। राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण सहायता राशि का भुगतान उन लाभार्थियों को एक किश्त में किया जाना था जिनके आवासों का चयन ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया हो। इससे यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी कच्चा माल पहले ही खरीद सके और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आवासों के निर्माण में कोई विलम्ब न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में, दिव्यांगजनों को 221 आवासों की स्वीकृति दी गई थी, जिनका निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित सहायता प्रदान करने के लिए राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया जा सकता था। जबकि, इन जनपदों में किसी भी आवास को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण के लिए नहीं लिया गया था।

उत्तर में, राज्य सरकार ने राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में वृद्ध एवं अशक्त लाभार्थियों के निर्मित आवासों की एक सूची (सितंबर 2024) प्रदान की। इस सूची की जाँच से पता चला कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, वृद्ध, अशक्त, दिव्यांग एवं विधवाओं से संबंधित 1,797 आवासों का निर्माण किया गया था। इनमें से 234 वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवास नमूना जाँच किए गए 29 विकास खण्डों में थे। तथापि, इन नमूना जाँच किए गए 29 विकास खण्डों को राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित वृद्ध एवं दिव्यांग लाभार्थियों के आवासों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए, उत्तर नमूना जाँच किए गए जनपदों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुरूप नहीं था, जिन्होंने सूचित किया था कि राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के आवासों के निर्माण के प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित थी तथा संबंधित जनपद या विकास खंड स्तर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। इस प्रकार, राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से वृद्ध, अशक्त या दिव्यांग व्यक्ति के आवासों के निर्माण का आश्वासन नहीं दिया जा सकता था।

समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान यह स्वीकार किया गया कि ऐसे आवासों का निर्माण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाना था। यह भी सूचित किया गया कि ऐसे मामलों में एक या दो किश्तों में पूर्ण सहायता राशि निर्गत करने का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

4.6.2 आवासों के निर्माण के लिए ऋण की सुविधा

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.6.1 में प्रावधान था कि यदि किसी लाभार्थी को अपनी आकांक्षाओं एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार आवास का निर्माण करने की इच्छा होगी, तो उसे विभाग द्वारा ₹ 70,000 तक के संस्थागत वित्त का लाभ उठाने की सुविधा दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में विभाग को बैंकरों के साथ बैठक करनी चाहिए। विभाग एवं बैंकों को लाभार्थी के संवेदीकरण सहित ऋण उत्पादों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लिए प्राक्कलनों को स्वीकृति देते समय, उ.प्र. सरकार के आदेश (दिसंबर 2016) में परिकल्पना की गई थी कि आवासों के निर्माण के लिए प्रदान की गई सहायता के अतिरिक्त आवश्यक राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जाएगी क्योंकि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में ऋण का प्रावधान उल्लिखित था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों के लिए ऋण की सुविधा, योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू था। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों में, बैंकरों एवं अन्य ऋण संस्थानों के साथ बैठक करके बैंक ऋण सुविधा प्रदान करने के प्रयास जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के अभिलेखों में परिलक्षित नहीं थे। संबंधित जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों ने बताया कि किसी भी लाभार्थी ने बैंकिंग या अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के लिए आवेदन नहीं किया था। आगे जाँच में पता चला कि राज्य स्तर पर, बैंकों के सहयोग से रियायती ब्याज की दर पर ऋण योजना (डीआरआई) के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं ऋण उत्पादों की उपलब्धता के बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थियों के संवेदीकरण के लिए कोई विज्ञापन निर्गत नहीं किये गए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा डीआरआई ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की भूमिका तय करने के लिए कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इस संबंध में भारत सरकार के निर्देश एवं दिशानिर्देश राज्य के सभी जनपदों को प्रसारित किए गए थे। अग्रेतर,

यह भी बताया गया कि आम तौर पर लाभार्थी बहुत गरीब होते हैं एवं ऋण के लिए इच्छुक नहीं होते हैं।

तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण दिशानिर्देशों में परिकल्पित राज्य एवं जनपद स्तरों पर डीआरआई ऋण योजना के व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

4.7 अधिरोहित बेमेल प्रकरणों का सत्यापन नहीं होना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में अधिरोहित प्रकरणों के सत्यापन के लिए निर्देश (दिसंबर 2021) निर्गत किए। ये प्रकरण संबंधित लाभार्थी के नाम पर निधि अंतरण आदेश निर्गत करते समय एसईसीसी अभिलेख एवं बैंक विवरण के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी के नाम एवं अन्य विवरणों में बेमेल होने से संबंधित थे। इसके अतिरिक्त, क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 13.4.2 (ई) में प्रावधान था कि एक बार लाभार्थी के फ्रीज़ किये गए बैंक खाते को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सत्यापित करने के पश्चात, इसे संबंधित विवरणों के लिए विकास खंड अधिकारियों द्वारा पुनः सत्यापित किया जाएगा। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा सत्यापित एवं बाद में विकास खंड अधिकारियों द्वारा सत्यापित खाते भुगतान के लिए आदेश पत्रक में प्रदर्शित होंगे।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि आयुक्त ग्राम्य विकास ने राज्य के सभी जनपदों के जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जनपदों में लंबित 6,40,992 बेमेल अधिरोहित प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश (नवंबर 2021) दिया। अग्रेतर, सत्यापन के दौरान किसी भी अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 10 जनवरी 2024 तक 1,44,108 बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए लंबित बताया गया था। जिससे, यह स्पष्ट था कि इन लंबित बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।

लेखापरीक्षा में प्रकरण को इंगित किए जाने के पश्चात, आयुक्त ग्राम्य विकास कार्यालय द्वारा 19 मार्च 2024 तक अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराये, जिसमें 17,291 बेमेल प्रकरणों को सत्यापित करने के लिए लंबित बताया गया तथा सत्यापन के पश्चात अस्वीकृत प्रकरणों की कुल संख्या 1,488 थी। इन 1,488 अस्वीकृत लाभार्थियों के अस्वीकृति के कारण तथा इनको भुगतान की गई

धनराशि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गई। आयुक्त ग्राम्य विकास ने यह भी बताया कि बेमेल अस्वीकृत मामलों में किए गए भुगतान की जानकारी जनपद/विकास खंड स्तर से एकत्र की जा सकती थी। तथापि, नमूना जाँच किए गए जनपदों में, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण अस्वीकृत प्रकरणों एवं निर्गत की गई धनराशि का विवरण प्रदान नहीं कर सके। अस्वीकृत प्रकरणों के विवरण के अभाव में ऐसे प्रकरणों के पुनः सत्यापन के दौरान पायी गई अनियमितताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि वर्तमान में, 782 बेमेल मामले सत्यापन के लिए लंबित थे तथा बेमेल अस्वीकृति मामलों की संख्या 762 थी। आगे यह भी सूचित किया गया कि बेमेल मामले का सत्यापन एक निरंतर प्रक्रिया है जो जनपदों एवं विकास खण्डों द्वारा नियमित रूप से की जाती है। तथापि, अस्वीकृत लाभार्थियों के विवरण, अस्वीकृति के कारणों एवं 762 अस्वीकृत प्रकरणों में सम्मिलित धनराशि तथा इसके लिए की गई कार्यवाही से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।

4.8 आँकड़ों में विसंगतियों का सुधार किये बिना आवास स्वीकृत किया जाना

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किए गए 11 जनपदों में पाया कि 2017-23 की अवधि में जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए थे, उनकी सिस्टम द्वारा सूजित सूची में, 572 लाभार्थियों के प्रकरण में नाम की फ़ील्ड या तो रिक्त थी या उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या अन्य चिन्ह अंकित थे। यह भी देखा गया कि इन प्रकरणों में या तो पिता के नाम या माता के नाम या दोनों की फ़ील्ड रिक्त थी या उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह या अपठनीय चिन्ह अंकित थे। ऐसे लाभार्थियों की संख्या का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है। अग्रेतर, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण आजमगढ़, बदायूँ, जौनपुर एवं महोबा ने बताया (फरवरी 2024) कि इन प्रकरणों में, वेबसाइट पर प्रदर्शित परिवार के विवरण से सूची में उल्लिखित लाभार्थी आईडी के सत्यापन के पश्चात परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास आवंटित किए गए थे। इन लाभार्थियों के सत्यापन से संबंधित अभिलेख जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरदोई के प्रकरण को छोड़कर, जिसके द्वारा ऐसे लाभार्थियों के नाम की सूची उपलब्ध कराई गयी थी।

सत्यापन के लिए मुख्य मापदंड लाभार्थियों के नाम थे, जो उपलब्ध नहीं थे क्योंकि लाभार्थी के नाम के क्षेत्र को रिक्त रखा गया था या प्रश्नवाचक चिह्न या अन्य चिन्हों से भरा गया था। इसलिए, किसी भी विशिष्ट पहचानकारक की

अनुपस्थिति में, जिन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किये गए थे, उनकी प्रामाणिकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। इससे स्पष्ट था कि क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन के दौरान भी दोषपूर्ण डेटा में सुधार नहीं किया गया था एवं दोषपूर्ण डेटा के आधार पर आवासों को स्वीकृति दी गई थी। इन 572 लाभार्थियों, जिन्हें आवास स्वीकृत किए गए थे, को सहायता के रूप में रूपये 6.82 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई थी।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 'रिक्त', 'प्रश्नवाचक चिह्न' या 'अपठनीय संकेत' के सापेक्ष आवासों की स्वीकृति का कारण मूल सूची से डेटा अंतरित न होना या नाम हिंदी में लिखा जाना था। ऐसे लाभार्थियों को आवास स्वीकृत करने की प्रक्रिया पर, यह सूचित किया गया कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा आवास साफ्ट पर सिस्टम सृजित सूची उपलब्ध कराई गई थी, जिसे ग्राम सभा से सत्यापित कराया गया था एवं लाभार्थियों की श्रेणीवार स्थायी प्रतीक्षा-सूची बनायी गयी थी। उन लाभार्थियों के प्रकरणों में जहाँ लाभार्थी या पिता/माता का नाम या दोनों को 'रिक्त' या 'प्रश्नवाचक चिह्न' या 'अपठनीय संकेत' के रूप में प्रदर्शित किया गया था, उन्हें सिस्टम सृजित मदर लिस्ट जिसे लाभार्थियों की पात्रता की पहचान के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा गया था, में उल्लिखित आईडी से सत्यापित किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत परिवार के विवरण से भी पहचान की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि इन विसंगतियों को ठीक नहीं किया जा सका क्योंकि फील्ड सुधार का विकल्प भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया था। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए आवासों की स्वीकृति की प्रक्रिया एवं साक्ष्य की व्याख्या की गई।

लेखापरीक्षा का विचार है कि आवासों की स्वीकृति से पहले विसंगतियों को सुधारना एवं सत्यापित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी थी एवं फील्ड सुधार के लिए विकल्प की अनुपलब्धता का प्रकरण भारत सरकार के समक्ष उठाया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त, जब लेखापरीक्षा द्वारा प्रकरण उठाया गया था, तब ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में पंजीकृत पारिवारिक विवरण से ऐसे लाभार्थियों के सत्यापन के अभिलेख सम्बंधित जिला ग्राम्य विकास अभियान द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गए थे। इसलिए, राज्य सरकार ऐसे प्रकरणों में प्रमाणिकता के पर्याप्त आश्वासन को सुनिश्चित करने के लिए उनकी समीक्षा कर सकती है।

4.9 जियोटैग नहीं होने के कारण लाभार्थियों को आवासों के आवंटन में विलम्ब

क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 5.2.1 में प्रावधान है कि स्वीकृति आदेश निर्गत करने से पहले, खंड विकास अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी विकास खंड स्तर का अधिकारी मोबाइल एप्लिकेशन 'आवासएप' के माध्यम से लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान के सामने का लाभार्थी का भू-संदर्भित चित्र लेगा, उसके पश्चात उस भूमि जिस पर लाभार्थी आवास बनाने का प्रस्ताव रखता है, का एक जियोटैग किया गया चित्र लेगा एवं इसे आवाससॉफ्ट पर अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए जनपद हरदोई के 19 विकास खण्डों में आवासप्लस एप्लीकेशन के माध्यम से कुल 1,31,695 लाभार्थियों की पहचान की गई थी। इनमें से 79,538 लाभार्थियों की जियोटैग नहीं किये जाने के कारण आवासप्लस एप्लीकेशन में उनका डेटा प्रदर्शित नहीं हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप लगातार दो वर्षों 2020-21 एवं 2021-22 में उन्हें आवास का आवंटन नहीं किया जा सका। लाभार्थियों की जियोटैग का दायित्व विकास खंड स्तर के अधिकारियों पर था एवं जियोटैग के अभाव में आवाससॉफ्ट पर डाटा प्रदर्शित न होना विकास खंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन में कमी को दर्शाता था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जनपद के छ: विकास खण्डों में, 39,255 लाभार्थियों जिनका डेटा आवासएप पर अपलोड किया गया था, में से 25,197 लाभार्थियों (64 प्रतिशत) को रिमांड किया गया था एवं मात्र 13,788 लाभार्थियों (35 प्रतिशत) को वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में आवास आवंटित किए गए थे। दिलचस्प बात यह थी कि इन छ: विकास खण्डों में से एक विकास खंड में, 95 प्रतिशत लाभार्थी या तो अपात्र पाए गए या उन्हें रिमांड कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन छ: विकास खण्डों में कुल 270 लाभार्थी अभी भी आवास के आवंटन की प्रतीक्षा में थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जियोटैग न होने के कारण छूटे हुए जनपद हरदोई के लाभार्थियों को भारत सरकार से वर्ष 2024-25 का लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात् आवास स्वीकृत किए जाएंगे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया।

4.10 आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा कार्य के दौरान नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया

गया। निर्मित आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए, प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत में, व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति के आधार पर आठ लाभार्थियों का चयन (उपलब्धता होने पर) किया गया तथा लाभार्थी एवं विभाग के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, नमूना जाँच के 19 जनपदों में 2,178 लाभार्थियों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया। इन 2,178 आवासों में से 2,079 आवासों को आवाससॉफ्ट में पूर्ण तथा 99 आवासों को अपूर्ण सूचित किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणामों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है। संयुक्त भौतिक सत्यापन का जनपदवार विवरण **परिशिष्ट 4.3.** में दिया गया है।

4.10.1 'पूर्ण' सूचित आवास का संयुक्त भौतिक सत्यापन में 'अपूर्ण' पाया जाना

आवाससॉफ्ट में पूर्ण सूचित किये गए 2,079 आवासों में से, संयुक्त भौतिक सत्यापन में केवल 2,002 (96 प्रतिशत) आवास ही वास्तव में पूर्ण (छत पड़ी होना) पाए गए। इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन में 77 आवासों के प्रकरणों में विभाग का दावा सही नहीं पाया गया। यह भी पाया गया कि इन 77 आवासों के लिए आवासीय इकाई की सहायता की सभी तीन किश्तें निर्गत की जा चुकी थीं। ऐसे दो अपूर्ण आवासों के दृष्टान्तदर्शक प्रकरणों पर चर्चा केस स्टडी में की गई है।


केस स्टडी

विकास खंड बेहटा की ग्राम पंचायत तेजवापुर के एक प्रकरण में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि लाभार्थी (आईडी UP144091039) का आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में स्वीकृत हुआ था। आवाससॉफ्ट के अनुसार, आवास को 21 मई 2023 को पूर्ण सूचित किया गया था एवं लाभार्थी को तीनों किश्तें निर्गत कर दी गई थीं। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (21 सितंबर 2023) के दौरान आवास अपूर्ण (**चित्र 4.2**) पाया गया एवं आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया गया चित्र भी वास्तव में निर्मित आवास से भिन्न पाया गया। इसी प्रकार, जनपद सुल्तानपुर में विकास खंड- कराँदीकला, ग्राम पंचायत मराता तुलसीपट्टी के एक अन्य लाभार्थी (आईडी UP134488642) को वर्ष 2021-22 में स्वीकृत आवास जिसे 16 फरवरी 2022 को आवाससॉफ्ट में पूर्ण दिखाया गया था को 16 नवंबर 2023 को किये गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान वास्तव में अपूर्ण (**चित्र 4.3**) पाया गया। आवाससॉफ्ट में अपलोड किये गए अपूर्ण चित्र के आधार पर तीनों किश्तें निर्गत कर दी गई थीं।

चित्र 4.2

	
लाभार्थी आईडी-UP144091039 के आवाससॉफ्ट पर पूर्ण सूचित आवास आवास का चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 21 मई 2023)	संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 21 सितम्बर 2023 के दौरान लिए गए लाभार्थी आईडी-UP144091039 के आवास का चित्र

चित्र 4.3

	
लाभार्थी आईडी-यूपी 134488642 के आवाससॉफ्ट पर पूर्ण सूचित आवास का चित्र (विभागीय निरीक्षण दिनांक 16 फरवरी 2022)	संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 16 नवंबर 2023 के दौरान को लिए गए आवास का चित्र

यह उदाहरण, आवाससॉफ्ट पर चित्र अपलोड करने में उचित सावधानी न बरते जाने तथा उक्त सीमा तक भौतिक प्रगति को अधिक सूचित किये जाने की ओर संकेत करते थे।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.2 आवासों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी विवरण अंकित नहीं होना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्देश दिया (जुलाई 2017) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता के माध्यम से निर्मित पूर्ण आवास की पहचान के लिए, प्रत्येक निर्मित आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह, लाभार्थी का नाम, पिता / पति का नाम, श्रेणी, स्वीकृति का वर्ष, ग्राम/ विकास खंड/ जनपद का नाम एवं व्यय की गई धनराशि - (i) प्राप्त सहायता, (ii) स्व-संसाधन (iii)योग को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इससे सम्बंधित व्यय को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रशासनिक व्यय घटक से पूरा किया जाना था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 2,079 पूर्ण आवासों में से, 1,713 आवासों (82 प्रतिशत) में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह एवं लाभार्थी के अन्य प्रासंगिक विवरण अंकित नहीं पाए गए। इस प्रकार, इन आवासों को जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों में था, आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था । ऐसे दो आवासों को चित्र 4.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.4: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्ह तथा प्रासंगिक विवरण के बिना आवास



इस प्रकार, योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित करने के ग्रामीण विकास मंत्रालय निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण, कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया था।


राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि कार्यवाही करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने तथा उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.3 आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस/पत्थर से निर्मित होना

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान था कि छत एवं दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए कि लाभार्थी जिस स्थान पर रहता है, उसकी जलवायु स्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सके। इसके अतिरिक्त, संग्रह 'पहल' में आवासों के किसी भी डिजाइन में टिन/एस्बेस्टस शीट के साथ छत का सुझाव नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 42 आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस शीट आदि से बनी थीं। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए ऐसे दो उदाहरणात्मक आवासों को चित्र 4.5 में दर्शाया गया हैं।

चित्र 4.5: आवासों की छत टिन/एस्बेस्टस शीट से बना होना



राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मात्र पक्की छत का प्रावधान था तथा उत्तरदायित्व तय करने एवं उस पर कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह

सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.4 छत की ढलाई एवं आवास पूर्ण होने की स्थिति के लिए एक समान चित्र का उपयोग

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश (नवंबर 2017) के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत सहायता की तीसरी किश्त आवास के पूर्ण होने के उपरांत अर्थात् छत की ढलाई तथा प्लास्टर के पश्चात् निर्गत की जानी थी। तीसरी किश्त की धनराशि का उपयोग दरवाजे एवं खिड़कियाँ स्थापित करने तथा आवास की पैटिंग के लिए किया जाना था।

सत्यापन के लिए चुने गए नमूनाकृत 2,079 पूर्ण आवासों में से 1,275 मामलों (61 प्रतिशत) में आवाससॉफ्ट पर पूर्ण आवास की खिड़की/छत के ढलाई का स्तर एवं पूर्ण आवास के स्तर की एक समान चित्र अपलोड किये गए थे, जैसा कि चित्र 4.6 में दर्शाया गया है। चित्र 4.6 से यह भी स्पष्ट था कि तीसरी किश्त आवास का प्लास्टर सुनिश्चित किए बिना निर्गत की गई थी।

चित्र 4.6: पूर्ण आवास एवं आवास के विंडोसिल स्तर की स्थिति के लिए अपलोड किये गए चित्र (लाभार्थी आईडी UP134617539)

विंडो सिल स्तर प्रदर्शित करने के लिए आवाससॉफ्ट पर चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 14 अप्रैल 2023)	पूर्ण आवास की स्थिति प्रदर्शित करने लिए आवाससॉफ्ट पर चित्र (विभागीय निरीक्षण तिथि 14 अप्रैल 2023)

संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 2,079 नमूना आवासों में से 1,548 आवास (74 प्रतिशत), दीवारों पर बिना प्लास्टर के पाए गए। इस प्रकार, यद्यपि इन आवासों को पूर्ण दिखाया गया था, लेकिन उन्हें ऊपर उल्लिखित उ.प्र. सरकार के आदेश के संदर्भ में पूर्ण नहीं माना जा सकता था। ऐसे दो आवासों को चित्र 4.7 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.7: प्लास्टर के बिना पूर्ण सूचित किए गए आवास


	
<p>लाभार्थी आईडी-UP2606649, ग्राम पंचायत-बारागांव, विकास खंड-महोली जनपद- सीतापुर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 20.09.2023</p>	<p>लाभार्थी आईडी-UP 132846917, ग्राम पंचायत-रक्सी, विकास खंड-नरैनी, जनपद- बांदा संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 08.12.2023</p>

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवासों के प्लास्टर के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.5 आवासों का उपयोग नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 25 आवास जो यद्यपि पूर्ण थे परन्तु वह निवास के लिए उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। ऐसे दो आवासों को चित्र 4.8 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.8: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास जो कि निवास के लिए उपयोग में नहीं है

	
<p>लाभार्थी आईडी-UP 4504785 ग्राम पंचायत-गुरपुरी चंदन, विकास खंड-जगत, जनपद-बदायूं संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 28-02-2023 (लाभार्थी ने बताया कि घर का उपयोग मुर्गी पालन के लिए किया जा रहा है)</p>	<p>लाभार्थी आईडी-UP 132531620, ग्राम पंचायत - सरौली बुजुर्ग, विकास खंड-सुमेरपुर, जनपद- हमीरपुर संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 19-12-2023 (लाभार्थी द्वारा निवास के लिए उपयोग न किये जाने का कारण नहीं दिया गया)</p>

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.10.6 भोजन पकाने एवं स्नान के लिए स्थान सुनिश्चित किये बिना आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 6.2.2.1 में प्रावधान था कि मुख्य आवास के डिजाइन में स्वच्छ भोजन पकाने तथा स्नान के लिए एक स्थान भी सम्मिलित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया कि 2,079 पूर्ण आवासों में से 1,129 आवासों (54 प्रतिशत) का निर्माण स्वच्छ भोजन पकाने एवं 1,205 आवासों (58 प्रतिशत) का निर्माण स्नान के लिए स्थान सुनिश्चित किये बिना किया गया था जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि इस संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं।

4.11 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण

आवास निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.1 में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु विद्यमान योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या किसी अन्य विशेष वित्तपोषण स्रोत के अंतर्गत शौचालय⁵³ के निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या किसी अन्य योजना के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, स्वच्छ एवं अधिक कुशल भोजन पकाने के ईंधन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के साथ अभिसरण की परिकल्पना की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण

⁵³ क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के संदर्भ में शौचालय का निर्माण महत्वपूर्ण था जिसके अनुसार शौचालय के निर्माण के पश्चात् ही आवास को पूर्ण माना जाएगा।

सुनिश्चित करने एवं मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में पाई गई कमियों पर चर्चा नीचे की गयी है:

4.11.1 अभिसरण की स्थिति

राज्य में वर्ष 2016-17 से जनवरी 2024 की अवधि में शौचालय के निर्माण, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत् संयोजन एवं जल आपूर्ति संयोजन से संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धताकी स्थिति **तालिका 4.2** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.2: राज्य स्तर पर अभिसरण की स्थिति

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत पूर्ण आवास	शौचालय का निर्माण (प्रतिशत में)	रसोई गैस कनेक्शन (प्रतिशत में)	विद्युत् संयोजन (प्रतिशत में)	जल आपूर्ति संयोजन (प्रतिशत में)
34,49,441	32,96,379 (96)	32,50,414 (94)	31,95,484 (93)	25,83,388 (75)


(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों में, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 14,97,260 आवासों में से 95 प्रतिशत आवासों में शौचालयों का निर्माण किया गया था, 93 प्रतिशत आवासों में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध थे, 92 प्रतिशत आवासों में विद्युत् संयोजन प्रदान किए गए थे तथा 71 प्रतिशत आवासों को जलापूर्ति संयोजन प्रदान किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दिया गया है। तथापि 2,079 नमूना आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन, जो नमूना जाँच वाले 19 जनपदों में विभाग द्वारा पूर्ण सूचित किये गए थे, में पायी गयी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 4.5** में प्रदर्शित है तथा **तालिका 4.3** एवं **चार्ट 4.2** में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया।

तालिका 4.3: आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति

जाँच किए गए जनपदों की संख्या	संयुक्त भौतिक सत्यापन में जांचे गए पूर्ण आवासों की संख्या	शौचालय वाले आवासों की संख्या (प्रतिशत में)	रसोई गैस कनेक्शन के साथ आवासों की संख्या (प्रतिशत में)	विद्युत् संयोजन वाले आवासों की संख्या (प्रतिशत में)	पाइप से पेयजल आपूर्ति संयोजन वाले आवासों की संख्या (प्रतिशत में)
19	2079	1483 (71)	1271 (61)	1456 (70)	233 (11)

चार्ट 4.2 संयुक्त भौतिक सत्यापन में पायी गई मूलभूत सुविधाओं में कमी (प्रतिशत में)



जैसा कि चार्ट 4.2 से प्रदर्शित है, पाइप से पेयजल आपूर्ति संयोजन की उपलब्धता में 89 प्रतिशत की सबसे अधिक कमी देखी गई तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में शैक्षालय, विद्युत संयोजन एवं रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता में कमी क्रमशः 29, 30 एवं 39 प्रतिशत थी। इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने में कमी का प्रतिशत राज्य स्तर पर सूचित अभिसरण के माध्यम से सूचित की गई कमी की तुलना में अधिक था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आवाससॉफ्ट में भरे गए डेटा के सत्यापन तथा डेटा में भिन्नता के प्रकरणों में उत्तरदायित्व तय करने एवं कार्यवाही करने के लिए निर्देश (अगस्त 2024) निर्गत किए गए हैं। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।

4.11.2 अकुशल मजदूरी प्रदान करने के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.1 (बी) के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी को, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण कर उसके आवास के निर्माण के लिए वर्तमान दर पर 90 मानव दिवस (दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जनपदों में 95 मानव दिवस) कार्य की अकुशल मजदूरी का सहयोग प्रदान किया जाना अनिवार्य था।

वर्ष 2017-23 की अवधि में स्वीकृत आवासों की स्थिति, कार्य सृजन के लिए किये गए अनुरोध तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजित किये जाने की स्थिति तालिका 4.4 में प्रदर्शित है।

तालिका 4.4: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजन की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत आवासों की संख्या	कार्य सृजन के लिए अनुरोध	सृजित कार्य
2017-18	394382	391950	386101
2018-19	309589	307731	297376
2019-20	171554	170693	169864
2020-21	732502	732022	729544
2021-22	433250	433013	431327
2022-23	858481	856365	855406
कुल योग	2899758	2891774	2869618

(स्रोत: आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

जैसा कि तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-23 की अवधि में स्वीकृत कुल 28.99 लाख आवासों में से 28.92 लाख लाभार्थियों के संबंध में मनरेगा के अंतर्गत कार्य सृजन का अनुरोध भेजा गया था जबकि मात्र 28.70 लाख लाभार्थियों के लिए कार्य सृजित किया गया था। इस प्रकार, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना के अंतर्गत परिकल्पित सभी स्वीकृत आवासों के लिए कार्य सृजन नहीं किया जा सका था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि स्वीकृत आवासों की संख्या, कार्य सृजन अनुरोध एवं वास्तविक कार्य सृजन में मिसमैच प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों की स्वीकृति के पश्चात पाए गए अपात्र लाभार्थियों के प्रकरणों के कारण था। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आँकड़ों (वर्ष 2016 से वर्ष 2019-20) से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवास की स्वीकृति पर, कार्य सृजन के लिए आईडी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की वेबसाइट पर स्वतः पोर्ट किया गया था। तथापि, आवासप्लस डेटा (वर्ष 2020-21 से आगे) के पश्चात लाभार्थी को पहली किश्त के हस्तांतरण के दौरान कार्य सृजन के लिए आईडी ऑटो पोर्ट की जाती है। आगे यह भी बताया गया कि वर्तमान में 22,676 आवासों के मामले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य सृजन लंबित था एवं कार्यवाही करने के निर्देश निर्गत किए गए थे। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे।


4.11.3 जल निकास की सुविधा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रस्तर 8.1 (एफ) के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिवारों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, परिवारों

द्वारा उत्पन्न ठोस एवं तरल अपशिष्ट का उपचार करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन सुनिश्चित कर सकती थी।

नमूना जाँच किए गए 19 जनपदों के 2,079 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि मात्र 1,169 आवास (56 प्रतिशत), क्षेत्र में उपलब्ध नालियों से जुड़े थे तथा शेष 910 आवासों (44 प्रतिशत) में उनके क्षेत्र में उचित जल निकासी प्रणाली नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप जल भराव तथा रहने के लिए अस्वच्छ स्थिति थी। उचित जल निकास प्रणाली के अभाव वाले ऐसे दो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों को चित्र 4.9 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.9: उचित जल निकास प्रणाली के बिना आवासों के चित्र



उचित जल निकास प्रणाली के बिना जनपद बहराइच के विकास खंड बलहा में एक लाभार्थी का आवास (आईडी-UP139365164)। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 06.10.2023



उचित जल निकास प्रणाली के बिना जनपद उन्नाव में विकास खंड मियांगंज के एक लाभार्थी का आवास (आईडी -UP5818652) जिसके परिणामस्वरूप जलभराव तथा रहने के लिए अस्वच्छ स्थिति थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 12.01.2024

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से लाभान्वित परिवारों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए जल निकास का पर्याप्त एवं उचित प्रबंधन

महत्वपूर्ण था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आच्छादित किए गए परिवारों के लिए जल निकास सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छ भारत मिशन या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के साथ अपर्याप्त अभिसरण की ओर संकेत करता था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि जनपदों को इस संबंध में निर्देश निर्गत किये गए हैं। समापन बैठक (अक्टूबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए यह सूचित किया गया कि कार्यवाही करने एवं उत्तरदायित्व तय करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए हैं।

4.12 अभिसरण के लिए राज्य एवं जनपद स्तरीय समितियाँ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क के प्रस्तर 8.3 में प्रावधान है कि धरातल स्तर पर अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य एवं जनपद स्तर की समितियों को अपनी बैठकों में आवधिक निगरानी एवं समीक्षा के साथ एक एजेंडा बिंदु के रूप में अभिसरण को सम्मिलित करना चाहिए। तथापि, जैसा कि प्रतिवेदन के प्रस्तर 5.2 में चर्चा की गई है, इन समितियों की बैठकों के आयोजन में कमी पायी गयी। इस प्रकार वर्ष 2017-23 की अवधि में अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की निगरानी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पना के अनुसार सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

सारांश में, वर्ष 2016-23 की अवधि में स्वीकृत 20,215 आवास स्वीकृति की तिथि से पूर्ण होने की 12 माह की निर्धारित समय सीमा से अधिक होने के बावजूद मार्च 2025 तक अपूर्ण थे। योजना में परिकल्पित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए वार्षिक कार्य योजना में जनपदवार योजना सम्मिलित नहीं थी। लाभार्थियों की वार्षिक चयन-सूची को तैयार कर प्रसारित नहीं किया गया था। योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रत्येक आवास के साथ प्रशिक्षित राजमिस्त्री की मैपिंग न होने, प्रत्येक विकास खंड में डेमो आवास का निर्माण न होने कारण आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सुझाए गए डिजाइनों के अनुसार डेमो आवास का निर्माण नहीं कराया गया था। अग्रेतर, अधिरोहित/मिसमैच प्रकरण सत्यापन के लिए लंबित थे एवं साथ ही आवाससॉफ्ट में लाभार्थी के नाम, पिता के नाम एवं माता के नाम से संबंधित क्षेत्रों में बिना किसी प्रविष्टि या प्रश्नवाचक चिह्न के साथ आवास स्वीकृत किए गए थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम से पता चला कि 2,079 नमूना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों में से 77 आवास वास्तव में अपूर्ण थे एवं इस प्रकार, पूर्णता की प्रगति उस सीमा तक अधिक सूचित की गई थी। इसके

अतिरिक्त, संयुक्त भौतिक सत्यापन में, 82 प्रतिशत आवास प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रतीक चिन्हों के बिना पाए गए, 74 प्रतिशत बिना प्लास्टर के दीवारों, 54 प्रतिशत स्वच्छ भोजन पकाने के लिए बिना विशेष स्थान तथा 58 प्रतिशत बिना विशेष स्नान क्षेत्र के थे। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आवासों के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में शौचालय, रसोई गैस कनेक्शन, विद्युत् संयोजन एवं पाइप से पेयजल संयोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में भी कमियां पायी गयीं। इस प्रकार, यद्यपि राज्य ने, आवासों के पूर्ण करने के लक्ष्य में 98 प्रतिशत की उपलब्धि सूचित की गयी थी, परन्तु योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ थीं जिसकी चर्चा ऊपर की गई है तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणामों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क में परिकल्पित एक पूर्ण आवास की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए एवं अधिक कार्यवाही की आवश्यकता थी।

अनुशंसाएं:

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आलोक में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:

- (7) 20,215 अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने के लिए सक्रिय अनुश्रवण किया जाए।
- (8) राज्य में भूमिहीन लाभार्थियों की पहचान कर ऐसे सभी पहचाने गए लाभार्थियों को योजना में उल्लिखित प्राथमिकता के आधार पर आवास प्रदान किए जायें।
- (9) डेमो आवासों का निर्माण संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुशंसित डिजाइनों और विशिष्टियों के अनुसार किया जाये ताकि लाभार्थियों को उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त आवास के डिजाइनों से अवगत कराया जा सके।
- (10) किसी भी कदाचार की सम्भावना को समाप्त करने के लिए सभी अधिरोहित/मिसमैच प्रकरणों एवं लाभार्थी के नाम, पिता के नाम एवं माता के नाम के स्थान पर 'रिक्त' और 'प्रश्नवाचक चिह्न' की प्रविष्टियों के साथ स्वीकृत आवासों का गहन सत्यापन किया जाये।
- (11) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के दिशानिर्देशों में उल्लिखित निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के साथ पर्याप्त और प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि आवासों में शौचालय, रसोई गैस संयोजन, विद्युत् संयोजन, पाइप द्वारा पेयजल संयोजन जैसी सभी मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराई जा सके।